



## संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय

### प्रलिस के लयि:

कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वशिषिट आरथकि कषेत्तर, UNCLOS

### मेन्स के लयि:

UNCLOS और समुद्री वविद जैसे कदिक्षणि चीन सागर तथा पूरुवी चीन सागर में

## चरुचा में क्युं?


हल ही में भारत ने सामुदरकि कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) पर अपना समरुथन दोहराया है ।

- भारत ने UNCLOS, 1982 में वशिषरूप से परलिकषति अंतरराष्टरीय कानून के सदधिधतुं के आधर पर नेवगिशन और ओवरफुलाइट तथा अबाधति वाणजिय की सुवतंतरता का भी समरुथन कयिा है ।
- भारत, UNCLOS का एक समरुथक देश है ।

## प्रमुख बदिु:

- सामुदरकि कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) 1982 एक अंतरराष्टरीय समझुता है जो समुद्री और समुद्री गतविधियुं के लयि कानूनी ढाँचा सुथापति करता है ।
- इसे समुदर के नयिम के रूप में भी जाना जाता है यह समुद्री कषेत्तरुं को पाँच मुख्य कषेत्तरुं में वभिजति करता है अरुथात्आंतरकि जल, प्रादेशकि सागर, सनुनहिति कषेत्तर, वशिषिट आरथकि कषेत्तर (EEZ) और हाई सीज़ ।
- यह तटीय देशुं और महासागरुं को नेवगिट करने वालुं दवारा अपतटीय शासन के लयि मज़बूती प्रदान करता है ।
- यह न केवल तटीय देशुं के अपतटीय कषेत्तरुं का जुन है बलुक पाँचसंकेंदरति कषेत्तरुं में देशुं के अधकिारुं और ज़मिंदरियुं के लयि वशिषिट मारुगदर्शन भी प्रदान करता है ।
- जबकि UNCLOS पर दक्षणि चीन सागर में लगभग सभी तटीय देशुं दवारा हसुताकषर और पुषुटकि गई है कतिु इसकी वुयाखुया अभी भी बहुल वविदति है ।
  - पूरुवी चीन सागर में भी समुद्री वविद है ।

## समुद्री कषेत्तर



#### ■ आधार रेखा:

- यह तटीय देश द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त तट के साथ कम परिक्षेत्र की जल रेखा है।

#### ■ आंतरिक जल:

- आंतरिक जल वे जल होते हैं जो **आधार रेखा के भू-भाग पर स्थिति** होते हैं और जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है।
- प्रत्येक तटीय देश की अपने भूमिक्षेत्र की तरह अपने आंतरिक जल पर पूर्ण संप्रभुता होती है। आंतरिक जल के उदाहरणों में **खाड़ी, बंदरगाह, इनलेट, नदियाँ और यहाँ तक कि समुद्र से जुड़ी झीलें** भी शामिल हैं।
- आंतरिक जल से **इनोसैंट पैसेज** के गुजरने का **कोई अधिकार नहीं** है।
- इनोसैंट पैसेज का तात्पर्य उन जल से गुजरना है जो शांति और सुरक्षा के प्रतिकूल नहीं हैं। हालाँकि, राष्ट्रों को इसे नलिंबति करने का अधिकार है।

#### ■ प्रादेशिक सागर:

- प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील (NM) तक वसित होता है।

- एक नॉटिकल मील पृथ्वी की परधि पर आधारित होता है और अक्षांश के एक मिनट के बराबर होता है। यह भूमिमापति मील (1 समुद्री मील = 1.1508 भूमि मील या 1.85 कमी) से थोड़ा अधिक है।

#### ■ सन्नहिती क्षेत्र (Contiguous Zone):

- सन्नहिती क्षेत्र का वसितार आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक वसित होता है।
- तटीय देशों को अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय, आवरण, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने तथा दंडित करने का अधिकार होता है।
- इसमें संबंधित देश को अपनी सीमा में न्याधिकारिता का अधिकार होता है। लेकिन यह हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्र पर लागू नहीं होता है।

#### ■ अनन्य आर्थिक क्षेत्र ( Exclusive Economic Zone-EEZ):

- EEZ आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है।

#### ■ हाई सीज़ (High Seas):

- EEZ से अलग समुद्र की सतह और जल स्तंभ को 'हाई सीज़' कहा जाता है।
- इसे "सभी मानव जातों की साझा वरिषत" के रूप में माना जाता है और यह किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे है।
- देश इन क्षेत्रों में गतिविधियों का संचालन तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे शांतपूरण उद्देश्यों के लिये हों, जैसे कि पारगमन, समुद्री विज्ञान और पानी के नीचे की खोज।

स्रोत: द हट्टि

